दैनिक भास्कर सीकर 04-02-2023

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिक्षा/प्रा/आरटीई/मी/18878/टोल-फ्रीटेल/2022-23/ दिनांक: 01.02.2023

नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में सत्र 2022-23 में प्री-प्राईमरी कक्षाओं में नि:शुल्क प्रवेश के संबंध में

सार्वजनिक सूचना

शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए गैर सरकारी विद्यालयों में प्री-प्राईमरी कक्षाओं में नि:शुल्क प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार के निदेशक टोल फ्रीटेल जारी किये जा रहे हैं, जो स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्रायोजट स्कूल पोर्टल (**www.rajpsp.nic.in**) पर उपलब्ध हैं । नि:शुल्क प्रवेश संबंधी समस्त कार्य इन टोल फ्रीटेल के अनुसार ही सम्पन्न करने हैं। विस्तृत सूचना हेतु इनका अध्ययन किया जा सकता है।

(1) गैर सरकारी विद्यालयों के लिए

- विद्यालयों को समस्त प्री-प्राईमरी कक्षाएं जो उनके विद्यालय में संचालित है, में अधिकत कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक "बालवाटिका" एवं "आधिपत्यधारक समूह" के उसी कैचमेन्ट क्षेत्र में निवास करने वाले बालकों को नि:शुल्क प्रवेश देना होगा। प्रवेश हेतु आयु का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	कक्षा का नाम	प्रवेश हेतु आयु
1	Pre Primary 3+(PP.3+)	3 वर्ष या उससे अधिक परन्तु 4 वर्ष से कम
2	Pre Primary 4+(PP.4+)	3 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 5 वर्ष से कम
3	Pre Primary 5+(PP.5+)	4 वर्ष 6 माह या उससे अधिक परन्तु 6 वर्ष से कम

उक्त आयु की गणना 31 मार्च 2022 को आधार मानकर की जायेगी।

- प्रवेश शेषांक के 25 प्रतिशत सिद्धान्तियों को आरटीई के तहत नि:शुल्क सीट्स पर प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा:—

कक्षा	स:शुल्क बालकों की संख्या	नि:शुल्क बालकों की संख्या
PP3+	समस्त नवप्रवेशित शुल्कक बालक	नवप्रवेशित शुल्कक बालकों के 25 प्रतिशत
PP4+	PP3+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(PP3+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक - PP3+ से क्रमोन्नत नि:शुल्क बालक) का 25 प्रतिशत
PP5+	PP4 + से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक	(PP4+ से क्रमोन्नत + नवप्रवेशित बालक - PP4+ से क्रमोन्नत नि:शुल्क बालक) का 25 प्रतिशत

- लॉटरी प्रक्रिया उपरांत आवेदकर्ता द्वारा किसी एक विद्यालय में रिपोर्टिंग की जायेगी तथा विद्यालय द्वारा दस्तावेजों की जांच लॉटरी क्रमांक क्रम के आधार पर की जाएगी है.
- गैर सरकारी विद्यालय द्वारा गलत आवेदन लम्बक अथवा दस्तावेजों की जांच नहीं करने पर आवेदन reject/correction करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकेगी, शिक्षकाय के सही पाये जाने पर संबंधित कार्यक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा संबंधित विद्यालय के जिम्मेदार राजकाय गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम-1993 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय में प्रवेशित नॉनआरटीई छात्रों की पहली तस्वाता पोर्टल पर चलाये। ट्राईम फ्रेम अनुसार निर्धारित समय में पहली नहीं किये जाने पर छात्रों जिनमेवारी विद्यालय की स्वयं की होगी।
- विद्यालयों को प्रवेश संबंधी समस्त कार्यवाही निम्नांकित ट्राइम फ्रेम के अनुसार पूरी करनी है:—

क्र. सं.	विवरण/गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विद्यालय जारी करना	दिनांक 06.02.2023	निदेशालय व संबंधित जिले विद्यालय
2	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	06 फरवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक	संबंधित अभिभावक
3	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का चयनित क्रम निर्धारण करना	15 फरवरी 2023	राज्य स्तर पर एमआईसी द्वारा
4	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना।	15 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक	अभिभावकों द्वारा
5	आवेदन पत्रों की जांच करना	15 फरवरी 2023 से 20 फरवरी 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
6	विद्यालय आवेदन को Correction/ reject किये जाने की विद्यालय सीबीईओ/ जिविअ कार्यालय में करना।	15 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक	अभिभावकों द्वारा
7	आवेदन पत्र में Correction की स्थिति में छात्र द्वारा संशोधन करना।	15 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 तक	अभिभावकों द्वारा
8	विद्यालय द्वारा संशोधित आवेदनों की पुन: जांच करना	15 फरवरी 2023 से 27 फरवरी 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
9	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना।	28 फरवरी 2023	राज्य स्तर पर एमआईसी द्वारा

(2) अभिभावकों के लिए

- गैर सरकारी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु बालक "दुर्बल वर्ग" या "आधिपत्यधारक समूह" से संबंधित होना चाहिए। "दुर्बल वर्ग" में वे बालक सम्मिलित हैं, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है। "आधिपत्यधारक समूह" में अनुसूचित जाति के बालक, अनुसूचित जनजाति के बालक, अलप बालक, एचआईवी/एड्स से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी/एड्स से प्रभावित माता-पिता/संरक्षक के बालक, युद्ध विधवा के बालक एवं निःशक्तता बालक, ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम बीपीएल सूची में है तथा विद्युत वर्ग अथवा विशेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
- अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय) के किसी भी विद्यालय में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश में वरीयता ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम ग्राम तथा शहरी क्षेत्र में उस पार्ट के बालकों को दी जायेगी जिसमें विद्यालय स्थित है। इसके बाद कैचमेंट एरिया में विद्यालय के संलग्नक वार्ड को वरीयता दी जायेगी।
- प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाइन तरीके से करना है। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के प्रायोजट स्कूल पोर्टल (**www.rajpsp.nic.in**) पर आरटीई के अंतर्गत प्रवेश चयन का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन के विकल्प का चयन करें। पोर्टल पर आवश्यक सूचनाओं को प्रविष्ट कर प्रवेश की योग्यता की जांच करें। ये छात्र जो आरटीई के तहत किसी विद्यालय में प्रवेशित है, ये पुन: आवेदन नहीं कर सकेंगे। पोर्टल पहले जारी पर विस्तृत सूचनाएं ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा पात्रता संबंधित वास्तविक दस्तावेज अपलोड करें (दस्तावेजों की फोटो प्रति अपलोड नहीं की जाए)। आवेदन में बालक के आधार नंबर अथवा आधार पंजीयन नंबर तथा मोबाइल नंबर प्रविष्ट करना अनिवार्य है।
- सूचना प्रविष्ट के बाद इच्छित 05 विद्यालयों का चयन कर आवेदन को save कर दें। यदि आवेदन में कोई संशोधन करना हो तो आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल पर OTP के आधार पर संशोधन किया जा सकेगा। पुष्टि आधारकार होने की स्थिति में आवेदन पत्र को लॉक कर दें।
- राज्य के किसी भी गैर-सरकारी विद्यालय की सकाय जानकारी प्राप्त करने के लिए पोर्टल पर उपलब्ध "विद्यालय विकाय चार्ट" देख का उपयोग किया जा सकता है। इन विद्यालयों के रास्तों के आरटीई व नॉनआरटीई प्रवेश की स्थिति तथा खाली सत्र में संभावित आरटीई सीट्स की संख्या की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- अभिभावकों को सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु मोबाइल एप की सुविधा भी दी गई है। इसके लिए मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से "**राजस्थान प्रायोजट स्कूल एप**" डाउनलोड करें तथा इसमें सूचनाओं की प्रविष्ट कर आवेदन को लॉक कर दें।
- लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात आवेदन करने द्वारा आवेदन क्रमांक के माध्यम से आवेदन पत्रों की ईमेल मोटएस की जानकारी लें जा सकेगी। इसमें विद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही दस्तावेजों पर लगाए गए आक्षेपों की स्थिति व अगले सकाय जानकारी उपलब्ध होगी। छात्र अपने आवेदन क्रमांक पर सलय सलय पर आरटीई सूचना प्राप्त करेंगे। विद्यालय द्वारा इस संबंध में आवेदनकर्ता से संपर्क स्थापित कर सूचना दिया जाना अनिवार्य नहीं है।
- लॉटरी के पश्चात आवेदनकर्ता इच्छित विद्यालय में रिपोर्टिंग कर सकेंगे। विद्यालय द्वारा छात्र के आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों की जांच करने पर यदि संशोधन की स्थिति बनती है तो यह सूचना छात्र के आवेदन क्रमांक पर प्रदर्शित होगी। अत: निर्धारित समय में अपने आवेदन क्रमांक पर स्थिति का स्थिति की जांच तथा संशोधन करें।
- आवेदन करने द्वारा आवेदक किये गये दस्तावेजों की जांच के संबंध में विद्यालय द्वारा गलत आक्षेप लगाकर आवेदन निरस्त/कैंसलात करने की शिकायत आवेदकर्ता द्वारा संबंधित CBEO कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकेगी। मुख्य कार्यक शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त आवेदकर्ता के दस्तावेजों की जांच कर सही पाये जाने की स्थिति में विद्यालय द्वारा लगाए गए आक्षेप आरटीई पोर्टल से हटाया जा सकेगा तथा यह छात्र निर्धारितुसार आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होगा।
- प्रवेशित छात्र द्वारा आवेदन पत्र की मूल प्रति तथा दस्तावेजों की प्रति विद्यालय में जमा करवाई जाएगी।

(गौरव अग्रवाल) IAS
निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

डीआईपीआर/मी/1987/2023